रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2477] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937
No. 2477] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का.आ. 3129(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पोरबंदर पक्षी विहार पोरबन्दर शहर के बीचोबीच स्थित है और चारों ओर से मानव जनसंख्या से घिरा हुआ है तथा 9.33 हैक्टेयर तक फैला हुआ है |

और यह पक्षी अभयारण्य पक्षियों की 75 से अधिक प्रजातियों और वनस्पतियों की 14 प्रजातियों का आश्रय स्थल है ।

और यह अभयारण्य अनेक प्रवासी, स्थानीय प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों जैसे फ्लेमिंगो, स्पॉटिड डक, कोरमोरेंटस, पेंटिड स्टॉर्कस, एड्जुटेंट स्टॉर्कस, शोवेलर, कॉमन क्रेन, एगरेट्स और स्पूनबिल्स का आश्रय स्थल है ।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पोरबंदर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट

किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में पोरबंदर पक्षी विहार की सीमा के 1.27 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पोरबंदर पक्षी विहार पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार पोरबंदर पक्षी विहार की सीमा से 1.27 किलोमीटर तक है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 413.77 हैक्टयर तक फैला है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांशों और देशान्तर के साथ इसके सीमा विवरण के साथ **उपाबंध I** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन पोरबन्दर शहर के क्षेत्र तक फैला हुआ है । जिसका विवरण **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि
(iv) राजस्व ;
(v) नगर विकास ;
(vi) पर्यटन ;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका ;
(x) पंयाचत राज
(xi) लोक निर्माण विभाग
(xii) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 13,17,24 और 27 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोत** – सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति

मे मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं ।

(2) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा ;

(ii) अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के नए सन्निर्माण की अनुज्ञा पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाए नहीं दी जाएगी ;

परन्तु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही दी जाएगी|

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं.

		2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	नए वृहत जलीय परियोजना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिध
8.	पोलीथीन बैग का उपयोग	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए) |
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित
10.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
11.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
12.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का खड़ा करना	भूमिगत केबिल लगाने को प्रोत्साहन
13.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
14.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
15.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	(क) उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट के निपटान का विनियमन लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा | (ख) उपचारित बहिस्राव के पुनःचक्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा |
16.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक

		उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
18.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । तथापि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर से परे पारिस्थितकीय संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और विश्रामस्थलों का स्थापन आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जा सकेगा ।
19.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी । (ख) प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा । (ग) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
20.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	अनुमत क्रियाकलाप	
23	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
25.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
26.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
27.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
28.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला कलेक्टर, पोरबन्दर	अध्यक्ष
(ii)	पर्यावरण एवं वन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य
(iv)	प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का गुजरात सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य

(v)	गुजरात सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से परिस्थिति विज्ञान या वन्यजीव या पक्षियों के क्षेत्र से (प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए) नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(vi)	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य
(vii)	उप वन संरक्षक (विहार का प्रभारी), पोरबन्दर	सदस्य-सचिव

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/119/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पोरबंदर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का मानचित्र

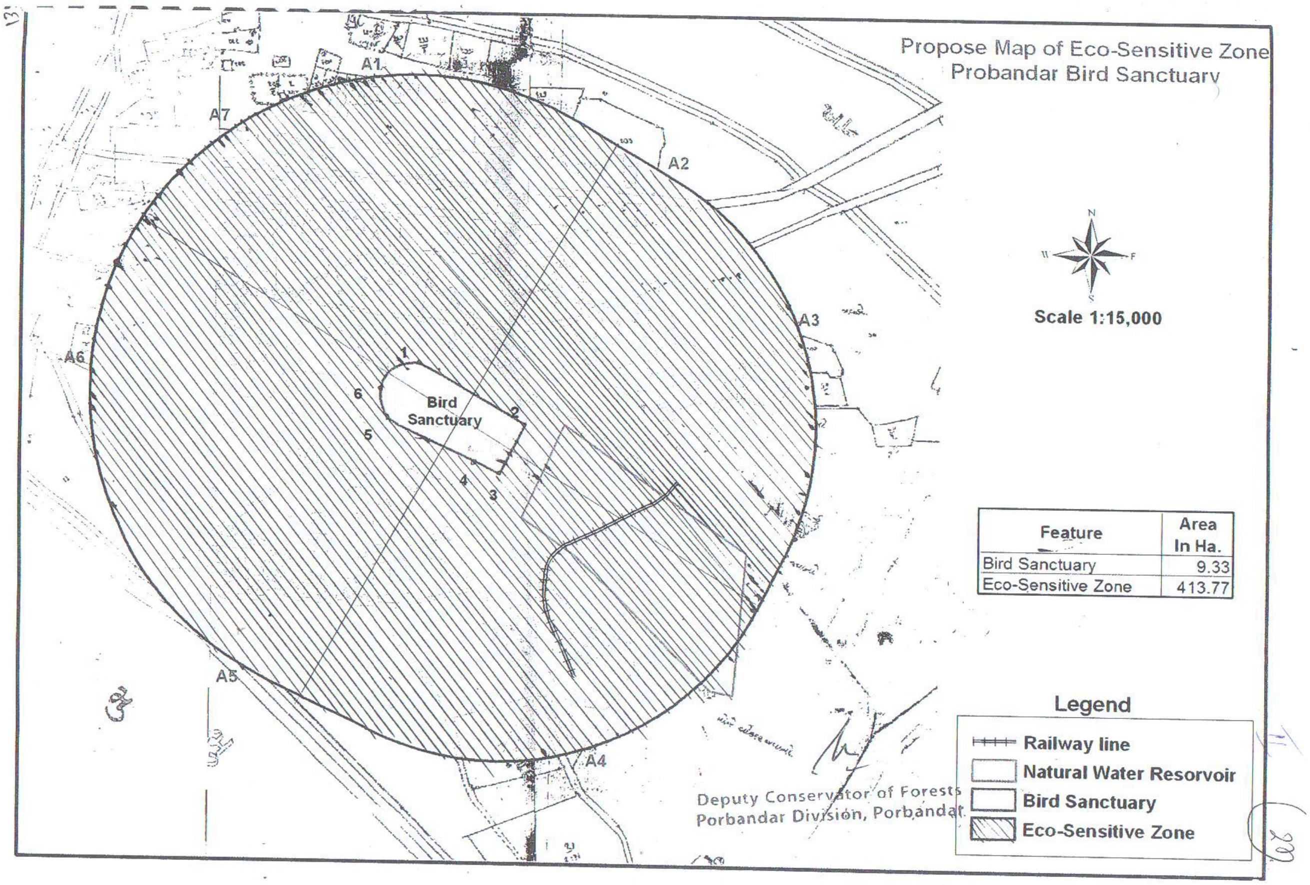
Propose Map of Eco-Sensitive Zone
Probandar Bird Sanctuary
N
W
E
S
Scale 1:15,000
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
1
2
3
4
5
6
Bird Sanctuary
Feature | Area In Ha.
Bird Sanctuary 9.33
Eco-Sensitive Zone 413.77
Legend
Railway line
Natural Water Resorvoir
Bird Sanctuary
Eco-Sensitive Zone
Deputy Conservator of Forests
Porbandar Division, Porbandar

पोरबंदर पक्षी अभयारण्य के निर्देशांक - अक्षांश एवं देशांतर		
क्र. सं.	**देशांतर**	**अक्षांश**
1	उ. 21,38,14.1	पू. 069,37,05,5
2	उ. 21,38,07.3	पू. 069,37,17,8
3	उ. 21,38,01,7	पू. 069,37,15.0
4	उ. 21,38,02.8	पू. 069,37,12,9
5	उ. 21,38,08.0	पू. 069,37,02,4
6	उ. 21,38,10,8	पू. 069,37,01.7

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जीपीएस निर्देशांक - अक्षांश एवं देशांतर		
क्र. सं.	**देशांतर**	**अक्षांश**
ए1	उ. 21,38,46.2	पू. 069,37,00,0
ए2	उ. 21,38,36.4	पू. 069,37,32.1
ए3	उ. 21,38,17,8	पू. 069,37,48.4
ए4	उ. 21,37,30.9	पू. 069,37,24,5
ए5	उ. 21,37,40.4	पू. 069,36,45,3
ए6	उ. 21,38,12,8	पू. 069,36,29.3
ए7	उ. 21,38,39.9	पू. 069,36,44.5

उपाबंध II

पोरबंदर पक्षी अभयारण्य - पोरबंदर प्रभाग - में पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के रूप में घोषित किए जाने वाले अभिप्रेत क्षेत्र की सूची

जिला : पोरबंदर

क्र. सं.	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	वनेतर क्षेत्र		वन क्षेत्र		कुल क्षेत्र (हे. में)	सीमा
			सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हे. में)	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हे. में)		
1	पोरबंदर	पोरबंदर	पोरबंदर नगर क्षेत्र 125, 123/2, 124/1, 123/1, 126, 137/1/2, 7/1, 2, 8/1, 2, 9/1, 2, 137/1, 2, 1, 65, 66, 67, 68, 69/2, 70, 71, 72, 73, 43/2, 43/1, 42, 61, 44/1, 44/3, 47, 48, 49, 44/3, 45, 25, 24, 21, 20, 17/2, 32, 31, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 2, 11, 12, 13/1, 2, 10/3, 1, 13/1, 2, 3, 4, 5, 1 to 10, 14/1, 15, 10/4, 1, 2, 3, 10/3, 2, 9, 34 to 39, 105/1, 2, 99 to 104, 98/1, 106, 74 to 94	413.77	00	00	413.77	उत्तर : पोरबंदर नगर क्षेत्र

उपाबंध III

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठकों के कार्यवृत्त : उल्लेखनीय बिन्दुओं का उल्लेख करें । अलग उपाबंध पर बैठकों के कार्यवृत संलग्न करें।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति
4. भूमि अभिलेख के ऊपर स्पष्ट त्रुटि के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश
   उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जाएं ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश।
   उपाबंध के रूप् में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश।
   उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलगन किए जाएं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O. 3129(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Porbandar Bird Sanctuary is situated in the middle of the Porbandar city and is covered on all sides by the human population and has an extent of 9.33 hectare;

AND WHEREAS, the bird sanctuary supports more than 75 species of birds, 14 species of flora;

AND WHEREAS, the sanctuary supports many migratory, local migratory and resident bird, species such as, flamingoes, spotted duck, cormorants, painted storks, adjutant storks, shoveller, common crane, egrets and spoonbills;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Porbandar Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 1.27 kilometers from the boundary of Porbandar Bird Sanctuary in the State of Gujarat, as Porbandar Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (here in after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is up to 1.27 kilometers from the boundary of Porbandar Bird Sanctuary.

(2) The area of Eco-sensitive Zone is 413.77 hectares.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes – longitudes is appended as **Annexure I.**

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across Porbandar City area the details of which are given in **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest and Wildlife,

(iii) Agriculture,

(iv) Revenue,

(v) Urban Development,

(vi) Tourism,

(vii) Rural Development,

(viii) Irrigation and Flood Control,

(ix) Municipal

(x) Panchayati Raj

(xi) Public Works Department,

(xii) Gujarat Pollution Control Board.

for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 17, 24 and 27 specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(ii) Small scale industries not causing pollution,

(iii) Rainwater harvesting, and

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Gujarat in consultation with Department of Environment and Forests, Government of Gujarat.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance on one kilometre from the boundary of the protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall be prohibited within the limits of Eco-sensitive Zone with immediate effect.
8.	Use of plastic carry bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Commercial use of firewood.	Regulated as per applicable laws.
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
11.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
12.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
13.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
14.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
15.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	(a) The discharge of treated effluent and disposal of solid waste shall be regulated as per applicable laws. (b) Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
16.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
17.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse

		impact on environment shall be permitted.
18.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area upto the extent of Eco-sensitive zone establishment of hotels and resorts may be done as per the Zonal master Plan.
19.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per the Zonal Master Plan.
20.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Air and Vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
22.	Introduction of Exotic species	Regulated under applicable laws.
	Permitted Activities	
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
24.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
25.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
26.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
27.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
28.	Use of renewable energy	Bio gas, solar light etc. to be promoted

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) Collector, Porbandar District- Chairman;

(ii) Representative of the Department of Environment and Forests, Government of Gujarat –Member;

(iii) Regional Officer, State Pollution Control Board - Member;

(iv) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of nature conservation to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of one year in each case)– Member;

(v) One expert in Ecology and environment from reputed Institution or University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of one year in each case) - Member;

(vi) Senior Town Planner of area - Member

(vii) Deputy Conservator of Forests, (incharge of the sanctuary), Porbandar – Member Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon’ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/119/2015-ESZ-RE]

Dr. T. Chandini, Scientist ‘G’

Annexure I

Propose Map of Eco-sensitive Zone Porbandar Bird Sanctuary

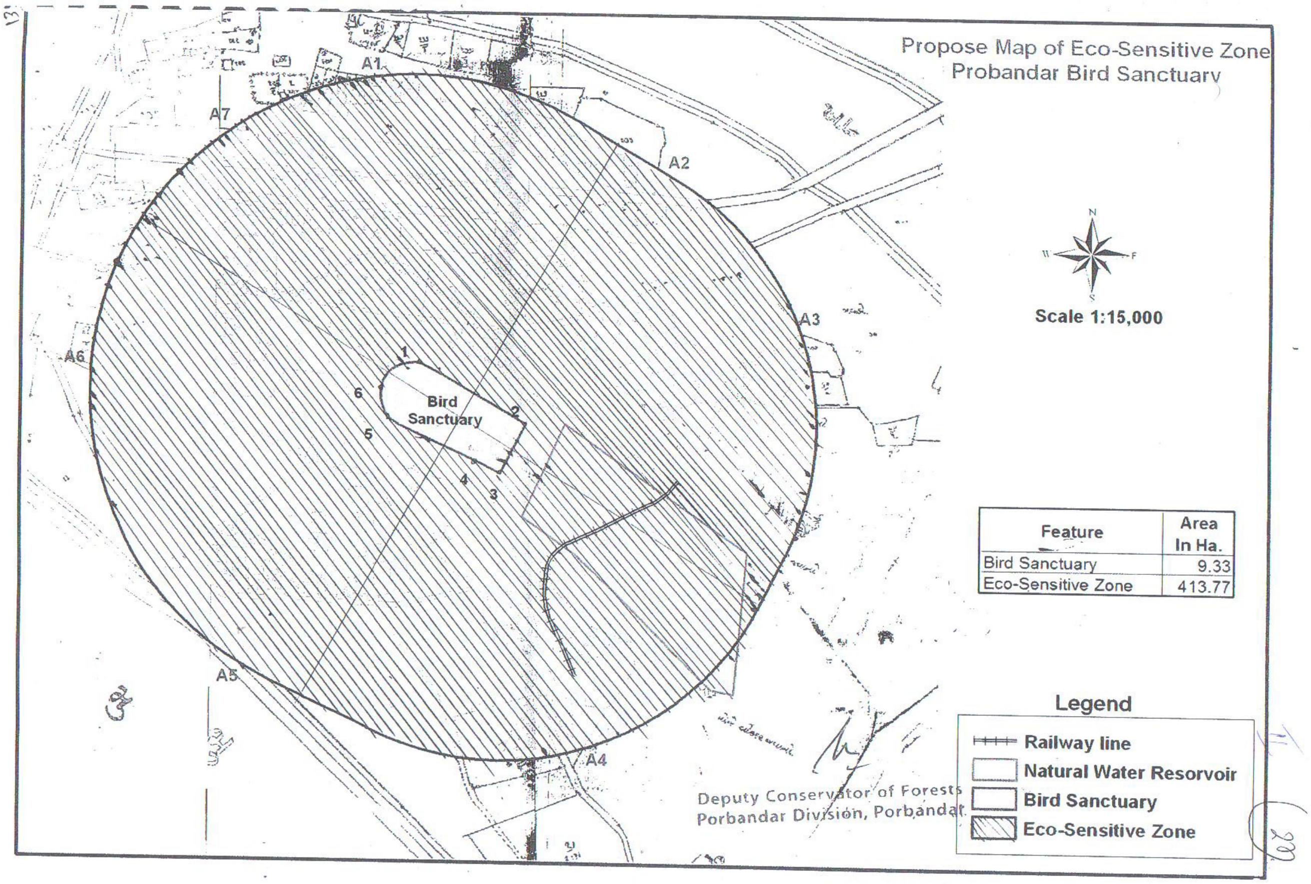
Propose Map of Eco-Sensitive Zone
Probandar Bird Sanctuary
Scale 1:15,000
N
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
1
2
3
4
5
6
Bird Sanctuary
Feature | Area In Ha.
Bird Sanctuary | 9.33
Eco-Sensitive Zone | 413.77
Legend
Railway line
Natural Water Resorvoir
Bird Sanctuary
Eco-Sensitive Zone
Deputy Conservator of Forests
Porbandar Division, Porbandar

Co-ordinate Points of Porbandar Bird Sanctuary-Latitude-Longitude		
Sr.No.	**Longitude**	**Latitude**
1	N 21,38,14.1	E 069,37,05,5
2	N 21,38,07.3	E 069,37,17,8
3	N 21,38,01,7	E 069,37,15.0
4	N 21,38,02.8	E 069,37,12,9
5	N 21,38,08.0	E 069,37,02,4
6	N 21,38,10,8	E 069,37,01.7

GPS Points of Eco-sensitive Zone Latitude-Longitude		
Sr.No.	**Longitude**	**Latitude**
A1	N 21,38,46.2	E 069,37,00,0
A2	N 21,38,36.4	E 069,37,32.1
A3	N 21,38,17,8	E 069,37,48.4
A4	N 21,37,30.9	E 069,37,24,5
A5	N 21,37,40.4	E 069,36,45,3
A6	N 21,38,12,8	E 069,36,29.3
A7	N 21,38,39.9	E 069,36,44.5

Annexure II

List of area intended to be declared as Eco-sensitive Zone-Porbandar Bird Sanctuary-Porbandar Division.

District: Porbandar

Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	Non Forest Area		Forest Area		Total Area in Ha.	Boundaris
			Survey No.	Area in Ha.	Survey No.	Area in Ha.		
1	Porbandar	Porbandar	Porbandar city area 125, 123/2, 124/1, 123/1, 126, 137/1/2, 7/1, 2, 8/1, 2, 9/1, 2, 137/1, 2, 1, 65, 66, 67, 68, 69/2, 70, 71, 72, 73, 43/2, 43/1, 42, 61, 44/1, 44/3, 47, 48, 49, 44/3, 45, 25, 24, 21, 20, 17/2, 32, 31, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 2, 11, 12, 13/1, 2, 10/3, 1, 13/1, 2, 3, 4, 5, 1 to 10, 14/1, 15, 10/4, 1, 2, 3, 10/3, 2, 9, 34 to 39, 105/1, 2, 99 to 104, 98/1, 106, 74 to 94	413.77	00	00	413.77	North: Porbandar city area East: Porbandar city area South : Adjoining Private land & Municipal land. West: Porbandar city area and Arabian Sea.

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.